न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 113/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/209

प्रार्थी :–
भागीरथ टाक पुत्र हरीराम जाति माली
निवासी पिपलिया बेरा, पीपाड़ शहर
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 19.06.2024

''आदेश''

दिनांक : 21/8/25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अन्य की पुश्तैनी कृषि भूमियां खसरा नंबर 928 क्षेत्रफल 2.0630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 928/1 क्षेत्रफल 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नंबर 937 क्षेत्रफल 3.0661 हैक्टेयर व खसरा नंबर 937/1 क्षेत्रफल 0.0485 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अन्य की पुश्तैनी कृषि भूमियां खसरा नंबर 1296 क्षेत्रफल 4.0855 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1299/2 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी में सेवन से लिपीकय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम घरेलू बोलचाल वाला नाम भागाराम पुत्र हरीराम गलत इन्द्राज कर दिया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं रही है. क्योंकि प्रार्थी मजदूर पेश व्यक्ति है। प्रार्थी का सही नाम भागीरथ टाक पुत्र हरीराम है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित वादग्रस्त आराजी में सेवन से लिपीकय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम घरेलू बोलचाल वाला नाम भागुराम पुत्र हरीराम गलत इन्द्राज कर दिया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं रही है, क्योंकि प्रार्थी मजदूर पेश व्यक्ति है। प्रार्थी का सही नाम भागीरथ टाक पुत्र हरीराम है। प्रार्थी का नाम भागीरथ टाक पुत्र हरीराम है। प्रार्थी के नाम से तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मोटर साईकल की आर.सी., भामाशाकार्ड, वोटर लिस्ट

इत्यादि में भागीरथ टाक पुत्र हरीराम नाम अंकित है। इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर भागाराम पुत्र हरीराम के स्थान पर भागीरथ टाक पुत्र हरीराम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश फरमावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम सिन्धीपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 928 क्षेत्रफल 2.0630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 928/1 क्षेत्रफल 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नंबर 937 क्षेत्रफल 3.0661 हैक्टेयर व खसरा नंबर 937/1 क्षेत्रफल 0.0485 हैक्टेयर भूमि में इन्द्राज भागाराम पुत्र हरीराम के स्थान पर रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम भागीरथ टाक पुत्र हरीराम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश फरमावे एवं ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1296 क्षेत्रफल 4.0855 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1299/2 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि में इन्द्राज भागुराम पुत्र हरीराम के स्थान पर रेकर्ड दुरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम भागीरथ टाक पुत्र हरीराम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश फरमावें। आदेश की पालना तहसीलदार पीपाड़ शहर से करवाने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि राजस्व अभिलेख ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 928, 928/1, 937, 937/1 में दर्ज नाम भागाराम पुत्र हरीराम के स्थान पर एवं ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1296, 1299/2 के राजस्व अभिलेख में भागुराम पुत्र हरीराम के स्थान पर भागीरथ टाक पुत्र हरीराम दर्ज किया जाना उचित बताया हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 928, 928/1, 937, 937/1 में दर्ज नाम भागाराम पुत्र हरीराम के स्थान पर एवं ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1296, 1299/2 के राजस्व अभिलेख में भागुराम पुत्र हरीराम के स्थान पर भागीरथ टाक पुत्र हरीराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/8/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर